"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2026 — फाल्गुन 1, शक 1947

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक PLGMJ-2504/1/2026-Tribal Section. – हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उपधारा (1) में निहित प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के नामांकित सदस्यों का दिनांक 13–02–2026 को सम्पन्न राज्य हज कमेटी की सामान्य सभा में निर्वाचन द्वारा सर्वसम्मति से हज कमेटी के अध्यक्ष पद पर श्री मिर्जा एजाज बेग, सदस्य, छ.ग. राज्य हज कमेटी का चुनाव किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री मिर्जा एजाज बेग को राज्य हज कमेटी का अध्यक्ष घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुपम त्रिवेदी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.